सिन्धु जल समझौता : पं. नेहरु की ऐतिहासिक भूल

सिन्धु प्रणाली में मुख्यतः सिन्धु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (बेसिन) को मुख्यतः भारत और पाकिस्तान साझा करता है। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। रावी, सतलुज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन (एमएएफ) पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चेनाव नदियों का करीब 135 एमएएफ पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया। जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलुज पर भांखड़ा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और पंदु बांध और रावी नदी पर रंजित सागर बांध का निर्माण किया। इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास-सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर-ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई। इससे भारत को पूर्वी नदियों का करीब 95 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करने में मदद मिली। हालांकि इसके बावजूद रावी नदी का करीब 2 एमएएफ पानी हर साल बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर चला जाता है।

शाहपुरखांडी परियोजना परियोजना से थेन बांध के पावर हाउस से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में 37000 हेक्टर भूमि की सिंचाई तथा 206 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। यह परियोजना सितंबर 2016 में ही पूरी हो जानी थी लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद हो जाने के कारण 30 अगस्त, 2014 से ही इसका काम रूका पड़ा है। दोनों राज्यों के बीच आखिरकार इसे लेकर 8 सितंबर, 2018 को समझौता हो गया। परियोजना के निर्माण पर कुल 2715.7 करोड़ रुपये की लागत आएगी। भारत सरकार ने 19 दिसंबर, 2018 को जारी आदेश के तहत परियोजना के लिए 485.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद मंजूर की है। यह राशि परियोजना के सिंचाई वाले हिस्से के लिए होगी। भारत सरकार की देखरेख में पंजाब सरकार ने परियोजना का काम फिर से शुरू कर दिया है।

5850 करोड़ रुपये की लागत वाली बहु उद्देशीय परियोजना से उझ नदी पर 781 मिलियन सीयू एम जल का भंडारण किया जा सकेगा जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा। इस पानी से जम्मू कश्मीर के कठुआ, हिरानगर और सांभा जिलें में 31 हजार 380 हेक्टर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और उन्हें पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी। परियोजना के डीपीआर को तकनीकी मंजूरी जुलाई 2017 में ही दी जा जुकी है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे केंद्र की ओर से 4892.47 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। ये मदद परियोजना के सिंचाई से जुड़े हिस्से के लिए होगी। इसके अलावा परियोजना के लिए विशेष मदद पर भी विचार किया जा रहा है। उझ व रावी ब्यास लिंक

परियोजना का उद्देश्य थेन बांध के निर्माण के बावजूद रावी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकना है। इसके लिए रावी नदी पर एक बराज बनाया जाएगा और ब्यास बेसिन से जुड़े एक टनल के जरिए नदी के पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा जाएगा।

उपरोक्त तीनों परियोजनाएं भारत को सिंधु जल संधि, 1960 के तहत मिले पानी के हिस्से का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा।

सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। भारत ने इस जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को इस साल 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर नोटिस भेजा था। नोटिस में इस संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वह इस जल संधि को बेहद महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत इस जल संधि के तहत किए गए समझौते के प्रावधानों का पालन करेगा। 19 सितंबर, 1960 को पाकिस्तान के कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने सिंधु नदी को लेकर यह समझौता किया था। सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। यह नदी दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और कश्मीर से होते हुए और पंजाब के खेतों में बहते हुए अरब सागर में चली जाती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास शामिल हैं

'Indus Divided: India, Pakistan and the River Basin Dispute' शीर्षक से अपनी किताब में पर्यावरणविद इतिहासकार डेनियल हैंस ने लिखा है कि 1948 का साल पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। वे सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप से बनाई गई नहरों पर निर्भर थे। तब वहां के लोग पूछते थे कि उन्हें नहर का पानी कब मिलेगा। लेकिन ऐसे हेडवर्क्स जो इंजीनियरों को इन नहरों में नदी के पानी को मोड़ने की इजाजत देते थे, पूर्वी पंजाब में स्थित थे और इनकी वजह से भारत को पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर नियंत्रण हासिल हुआ। भारत के नेताओं ने अपने क्षेत्र में आने वाली सभी नदियों के पानी पर पूरा हक जताया। उनका कहना था कि भारत के इंजीनियर सतलुज नदी के साथ जो चाहते थे वैसा कर सकते थे। सतलुज नदी से पंजाब की नहरों को पानी मिलता था। लेकिन पाकिस्तान ने सतलुज के पानी पर अपना दावा किया क्योंकि यह पाकिस्तान की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं- रावी पर माधोपुर और सतलुज पर फिरोजपुर के लिए जरूरी था और ये दोनों ही नदियां भारत में स्थित हैं। धीरे-धीरे यह विवाद बढ़ गया और इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भी शामिल हो गईं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जो नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी उसने उत्तरी-पहाड़ी इलाकों का बंटवारा कर दिया। दक्षिणी डेल्टा से ज्यादातर नदियों का पानी निकलता है लेकिन ये नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की वजह बन गईं। पाकिस्तान के लिए इन नदियों का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि इनके किनारे ही यहां की तकरीबन 60 फीसदी आबादी बसती है। तरबेला और मंगला जैसी पनबिजली परियोजनाएं भी इन्हीं नदियों पर हैं। यानी, पाकिस्तान की उपज को प्रभावित करने के साथ-साथ भारत का यह कूटनीतिक कदम उसकी कई अन्य परियोजनाओं को भी प्रभावित करने वाला साबित होगा। ऐसे में, पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ क्या कर सकता है? इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि यदि भारत ने पानी रोका तो इसे युद्ध माना जाएगा। वहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मगर यहां यह समझना होगा कि सिंधु नदी समझौता भले ही विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ

था लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ दोनों पक्षों को एक साथ लाने की थी । उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वह समझौते को लेकर कोई सवाल-जवाब संबंधित देश से कर सके। फिर जितना संधि के तहत यह समझौता किया गया था, जिसमें आपसी भरोसे को तवज्जो दी गई थी। ऐसे में, यदि पाकिस्तान पानी और खून की नीति साथ-साथ चलाए रखेगा तो भारत ही नहीं, कोई भी अन्य देश समझौते को स्थापित करने का विकल्प ही चुनेगा। मगर अब भारत को भी अपनी जल- संग्रह क्षमता अर्थात् जल-भण्डारण क्षमता युद्ध स्तर पर बढ़ानी होगी। पाकिस्तान को जाने वाला पानी हमारे काम आ सके, यह भी सुनिश्चित करना होगा।

इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (वर्ल्ड बैंक) की लंबी कोशिशों के बाद 19 सितंबर, 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी पर एकाधिकार मिला जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर अधिकार मिला। सिंधु जल समझौता इसलिए किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद ना हो। सिंधु जल समझौते की इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति बनाए रखने में अहम भूमिका है। यह दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और 1965 और 1971 के युद्ध के बावजूद दोनों देशों ने इस संधि का लगातार पालन किया है। हालांकि पाकिस्तान भारत की दो जल विद्युत परियोजनाओं- किशनगंगा परियोजना और रतले परियोजना को लेकर आपत्ति जताता रहा है और इस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी है। पाकिस्तान का आरोप है कि दोनों परियोजनाएं सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करती हैं। 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले वर्तमान सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं 1 उन्होंने सिन्धु जल संधि के समझौते को स्थगित कर दिया है 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू और कश्मीर में 'सब ठीक है' और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रत्यक्ष सुरक्षा कवर के तहत सुरक्षित रखा गया है। घाटी ने वास्तव में अक्टूबर 2001 के बाद से इस पैमाने पर नागरिकों पर हमले में मौत नहीं देखी है जब 35 लोग मारे गये थे। 2019 का पुलवामा हमला सशस्त्र बलों पर था जिसमें 40 से अधिक जवान मारे गये थे । अब यह पहलगाम जिसमें शैलानी मारे गए 27। दरसल नदियों का पानी मानव सभ्यता के संरक्षण,संवर्धन व जन कल्याण के लिए है, हम नदियों से कल्याण और उपकार की भावना सीखते हैं किन्तु जब मानवीय कार्यव्यापार नदियों के लिए खतरा हो जाए तो वे नदियाँ स्वयं संहार भी करती हैं 1 हमें नदियों के इस स्वरुप से भी सीखना होगा 1

संजय विनायक जोशी
पूर्व केन्द्रीय संगठन मंत्री, भाजपा